



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062023-246769  
CG-DL-E-24062023-246769

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]  
No. 438]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2023/आषाढ़ 1, 1945  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2023/ASHADHA 1, 1945

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2023

फा. सं. बीईई/एसएंडएल/टीएफएल/22-23.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित प्रारूप विनियम अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2023 को अधिसूचना संख्या बीईई/एसएंडएल/टीएफएल/22-23 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की विविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप विनियम की प्रतियां जनता को 31 मार्च, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और पूर्वोक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के बाबत कोई सुझाव या टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं;

अतः, अब, ब्यूरो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ढ) और धारा 14 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2018 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित विनियमों में संशोधन करता है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन विनियम), 2023 है.

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

**2. परिभाषा:- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-**

- (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
- (ख) "ब्यूरो" से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अभिप्रेत है।
- (ग) "प्ररूप" से इन नियमों से जुड़े प्ररूप अभिप्रेत है;
- (घ) "लेबल" से ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर चिपकाई गई या दिखाई देने वाली किसी भी लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;
- (ङ) "लेबल अवधि" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के अधीन चमकदार प्रभावकारिता की वैधता अवधि अभिप्रेत है:
- परंतु यदि चमकदार प्रभावकारिता की वैधता अवधि अधिसूचित नहीं की जाती है, इसे तब तक वैध माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए नए मूल्य अधिसूचित नहीं किए जाते।
- (च) "मॉडल या मॉडलों का परिवार" से एक विशेष ब्रांड के उत्पाद या उत्पादों की श्रेणी है, जिसके लिए परीक्षण रिपोर्ट का एकल सेट लागू होता है और जहां प्रत्येक उत्पाद समान भौतिक विशेषताएं, चमकदार प्रभावकारिता, स्टार रेटिंग स्तर और कार्य-निष्पादन विशेषताएं रखता है;
- (छ) "अनुज्ञा पत्र धारक" से वह व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल लगाने की अनुमति दी गई है;
- (ज) "अनुसूची" से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (झ) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर" से अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के आधार पर ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड है;
- (ट) किसी लेबल वाले ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के संबंध में "व्यापारी या विक्रेता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप को बेचता या वितरित करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, निर्माता और अनुज्ञा पत्र धारक सम्मिलित हैं जिन्हें ऐसे ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई है;
- (ठ) "ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप" से अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक उपकरण अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम में है

**3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण - (1) प्रत्येक ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर, उसके लेबल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे, अर्थात्:-**

- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;
- (ख) निर्माता या आयातक और ब्रांड का नाम;
- (ग) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप का आकार और रंग तापमान;
- (घ) व्यापार नाम और संख्या;
- (ङ) मॉडल और विनिर्माण अथवा आयात का वर्ष;
- (च) विशिष्ट श्रृंखला कोड;
- (छ) वॉट में रेटेड शक्ति ;
- (ज) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप का स्टार स्तर;
- (झ) एलएम / डब्ल्यू में चमकदार प्रभावकारिता;
- (ट) लेबल अवधि;
- (ठ) केडब्ल्यूएच में बिजली की बचत;
- (ड) केजीसीओ2 में सीओ2 उत्सर्जन में कमी

- (2) लेबल का डिज़ाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी।
- 4. लेबल प्रदर्शित करने के लिए समय सीमा.—** (1) इन नियमों प्रवृत्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रत्येक ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विवरणों वाला एक लेबल प्रदर्शित किया जाएगा।
- (2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के लागू होने पर, प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारक या व्यापारी या विक्रेता-
- (क) पिछले ऊर्जा खपत मानकों के साथ ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप का उत्पादन नहीं करेगा;
- (ख) संशोधित स्टार स्तर और संशोधित ऊर्जा खपत मानक के साथ लेबल अवधि और संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप का निर्माण का वर्ष प्रदर्शित करेगा;
- (ग) डीलरों, खुदरा विक्रेताओं की जागरूकता, उनकी शिक्षा के साथ-साथ उपभोक्ताओं की शिक्षा के लिए आवश्यक प्रचार सहित सुनियोजित तैयारी हेतु आवश्यक प्रारंभिक कदम उठाएंगे और अग्रिम रूप से कार्रवाई करेंगे।
- 5. लेबल प्रदर्शित करने की रीति —**(1) प्रत्येक ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर एक लेबल होगा जिसे बिक्री के स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा और ऐसे लेबल को ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर निम्नलिखित रीति से चिपकाया जाएगा, अर्थात्:-
- (क) 16 मिलीमीटर ऊंचाई तक फोटोग्राफिक कम करने के बाद रंग कार्यक्रम के साथ लेबल आवरण पर मुद्रित किया जाएगा;
- (ख) प्रत्येक निर्माता और आयातक आवरण पर रंग तापमान को चिह्नित करेगा;
- (ग) रेटिंग के अनुसार स्टार मार्किंग को ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर प्रिंट किया जाएगा, स्टार मार्किंग के लिए स्टैम्प का आकार 14.5 मिलीमीटर ऊंचाई x 8.5 मिलीमीटर चौड़ाई होगी और इसे एक अलग स्तंभ में स्टैम्प किया जाएगा।
- 6. लेबल को प्रदर्शित करने के लिए अनुमति. —** (1) ब्यूरो की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर कोई स्टार लेबल नहीं लगाया जाएगा।
- (2) कंपनी रजिस्ट्रीकरण- ब्यूरो की अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड को भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के अधीन देय, एक लाख रुपये के लेबल सुरक्षा फीस के साथ, अलग से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जैसा कि प्ररूप I - (क) में विनिर्दिष्ट है:
- परंतु लघु उद्योग के मामले में, लेबल सुरक्षा फीस पच्चीस हजार रुपये ही होगा।
- (3) मॉडल रजिस्ट्रीकरण - उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञा-पत्र के प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा-
- (क) भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से देय प्रति मॉडल दो हजार रुपये का आवेदन फीस; और
- (ख) प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज।
- 7. अनुमति प्रदान करना.-** (1) विनियम 6 के अधीन एक आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और संतुष्ट होने के बाद कि उसमें सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, ब्यूरो मानकों और लेबलिंग पर अपने मैनुअल में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, और विनियम 8 में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और निबंधन विषयाधीन -
- (क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप II- (क) में ब्रांड को रजिस्ट्रीकृत करेगा; और
- (ख) प्ररूप II में इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर लेबल लगाने के लिए अनुमति प्रदान करेगा।
- (2) ब्यूरो प्ररूप III में एक रजिस्टर बनाए रखेगा और उसमें अनुज्ञा-पत्र धारक का नाम दर्ज करेगा।
- (3) उप-विनियम (1) के अधीन दी गई अनुमति उस अवधि के लिए वैध होगी, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर लागू होता है।
- (4) स्टार रेटिंग योजना के पुनरीक्षण के मामले में, अनुज्ञा-पत्र धारक द्वारा अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति से अधिकतम एक महीने पहले प्रस्तुत किया जाएगा और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में देय एक हजार रुपये का फीस संलग्न किया जाएगा।
- परंतु स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपये के उक्त नवीनीकरण फीस से छूट दी जाएगी।

- (5) वैधता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आवेदन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, इस मामले में अनुज्ञा-पत्र धारक नए सिरे से आवेदन करेगा।
- (6) उप-विनियम (4) के अधीन नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर प्ररूप II में अनुमति का नवीनीकरण कर सकता है।
- (7) अनुज्ञा-पत्र धारक जो संशोधित स्टार स्तर लागू होने की तारीख से ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के मौजूदा मॉडल पर लेबल लगाने की निरंतरता के लिए अनुमति मांगता है, केवल प्ररूप IV में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।
- (8) यदि संशोधित स्टार स्तर के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के नए मॉडल को लॉन्च करने की योजना है, तो अनुज्ञा-पत्र धारक को नए सिरे से लेबल लगाने की अनुमति लेनी होगी और ऐसी अनुमति के लिए आवेदन संशोधित स्टार स्तर के लागू होने से छह महीने पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

**8. लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए निबंधन एवं शर्तें.**- प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारक, व्यापारी और विक्रेता लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करेंगे, अर्थात:-

- (क) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;
- (ख) लेबल केवल ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के ऐसे मॉडल पर लगाया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;
- (ग) लेबल मुद्रित किया जाएगा और अनुज्ञा-पत्र धारक की लागत पर ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर चिपकाया जाएगा;
- (घ) अनुज्ञा-पत्र धारक, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;
- (ङ) अनुज्ञा-पत्र धारक विनियम 9 में विनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान करेगा;
- (च) अनुज्ञा-पत्र धारक ब्यूरो को वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले महीने के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबल किए गए उपकरणों के उत्पादन और अर्जित लेबलिंग फीस के ब्यौरे के साथ एक विवरणिका प्रस्तुत करेगा;
- (छ) अनुज्ञा-पत्र धारक प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अपने लेबल वाले उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त प्राधिकृत वितरकों, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, विक्रेताओं की एक अद्यतन सूची ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा; और
- (ज) अनुज्ञा-पत्र धारक, व्यापारी और विक्रेता ऐसे अन्य नियमों और शर्तों का पालन करेंगे जिन्हें ब्यूरो द्वारा मानक और लेबलिंग के बारे में ब्यूरो के मैनुअल में निहित नियमों सहित विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

**9. लेबल फीस - (1)** प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारक ब्यूरो को ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर लगाए गए प्रत्येक लेबल के लिए पांच पैसे के लेबल फीस का भुगतान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बंद होने की तारीख से एक महीने के भीतर किया जाएगा:

परंतु विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का भुगतान करने में विफल रहने पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (2) के अधीन प्रस्तुत किए गए लेबल सुरक्षा फीस से दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय रकम की वसूली कर सकता है, और यदि संपूर्ण लेबलिंग फीस की प्रस्तुति की अंतिम तारीख के एक वर्ष के भीतर वसूली नहीं की जाती है, तो ब्यूरो अनुज्ञा-पत्र धारक को दिए गए सभी लेबल को रद्द कर सकता है और अनुज्ञा-पत्र धारक का नाम चूककर्ता के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित कर सकता है।

**10. लेबल सुरक्षा फीस की वापसी -** विनियम 9 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अधीन, एक अनुज्ञा-पत्र धारक ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के निर्माण को बंद करने पर लेबल सुरक्षा फीस की वापसी का हकदार होगा।

**11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन - (1)** ब्यूरो या इसका नामित अभिकरण, या तो स्वतः, या इसे प्राप्त शिकायत पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन कर सकती है कि ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप स्टार स्तर और इसके लेबल पर प्रदर्शित अन्य विवरणों के अनुरूप है और यह अनुमति के अन्य नियमों और शर्तों की अनुपालना के अनुरूप है।

(2) सत्यापन के प्रयोजनों के लिए, ब्यूरो या इसकी नामित अभिकरण निर्माण सुविधा, गोदाम या रिटेल आउटलेट से क्रमरहित नमूने, जो भी वह उचित समझे, ले सकती है।

(3) जहां, उप-विनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, नेशनल एक्ज़ेडिटेसन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज से सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र प्रयोगशाला में ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के चुनौती परीक्षण के अधीन सत्यापन कराना अपेक्षित होता है, इस तरह के परीक्षण करने के लिए अनुज्ञा-पत्र धारक को प्ररूप V में एक नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता को ब्यूरो द्वारा विहित समय के भीतर नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन और अन्य प्रासंगिक खर्चों से संबंधित खर्च रकम जमा करने के लिए कहा जाएगा, परंतु यदि चुनौती परीक्षण के अधीन लिया गया नमूना फेल हो जाता है, नमूने की लागत, नमूने के परिवहन और परीक्षण फीस के सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति अनुज्ञा-पत्र धारक द्वारा ब्यूरो को की जाएगी और ब्यूरो उपरोक्त खर्चों को शिकायतकर्ता को लौटा देगा; और जहां उपकरण चुनौती परीक्षण में पास हो जाता है, तब, शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए खर्च को जब्त कर लिया जाएगा।

(4) जहां स्वत-परीक्षण या चुनौती परीक्षण के दौरान परीक्षण के लिए उपयोग किए गए ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के नमूने फेल हो जाते हैं, अनुज्ञा-पत्र धारक को एक और अवसर प्रदान किया जाएगा और ब्यूरो पहले परीक्षण में उपयोग किए गए ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप की दोगुनी मात्रा के साथ स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला में अनुज्ञा-पत्र धारक की लागत पर दूसरा परीक्षण करेगा जो कि उस परीक्षण प्रयोगशाला से भिन्न है जहां पहला जांच परीक्षण संचालित किया गया था और यह नेशनल एक्ज़ेडिटेसन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज से सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त होगी और ब्यूरो अनुज्ञा-पत्र धारक को उप-विनियम (3) में संदर्भित चुनौती परीक्षण या उप-विनियम (4) में संदर्भित दूसरा परीक्षण को देखने और नमूने की खरीद और परीक्षण के लिए किए जाने वाले खर्च के लिए प्ररूप V में को सूचित करेगा।

(5) जहां दूसरा परीक्षण फेल हो जाता है, ब्यूरो, —

(क) सभी राज्य नामित अभिकरणों को सूचित करते हुए प्ररूप VI में अनुज्ञा-पत्र धारक को निदेश देगा कि अनुज्ञा-पत्र धारक दो महीने की अवधि के भीतर,-

(i) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करें या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करें;

(ii) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और

(iii) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरण बदलें;

(ख) दो महीने के भीतर, उपभोक्ताओं के लाभ के लिए किसी भी अनुज्ञा-पत्र धारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विशिष्टताओं को किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी अन्य रीति से, जैसा कि वह उचित समझे, प्रकाशित करें; और

(ग) संबंधित राज्य नामित अभिकरण को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञा-पत्र धारक और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित करें।

(6) उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट दो महीने की अवधि के समापन के दस दिनों के भीतर अनुज्ञा-पत्र धारक, -

(क) निदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप VII में अनुपालन रिपोर्ट ब्यूरो को भेजें; और

(ख) यदि खंड (क) में विनिर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी निदेश का पालन किए बिना प्राप्त या प्राप्त नहीं होती है, तो इसे जारी किए गए निदेश का पालन नहीं किया गया माना जाएगा और ब्यूरो द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया जाएगा।

(7) ब्यूरो खंड (क) में विनिर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और उप-विनियम (6) के खंड (ख) में पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी राज्य नामित अभिकरणों को धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने और उक्त उप-विनियम के खंड (ख) के अधीन पारित आदेशों के प्रवर्तन के उद्देश्य से भेजेगा

(8) जहां अनुज्ञा-पत्र धारक ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (5) के अधीन जारी किए गए निदेशों का पालन करने में विफल रहता है, ब्यूरो सभी राज्य नामित अभिकरणों को सूचित करते हुए, -

- (क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञा-पत्र धारक को दी गई अनुमति को वापस ले लेगा;
- (ख) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों का अनुज्ञा-पत्र धारक द्वारा पुष्टि करने में विफलता, उप-विनियम (6) के खण्ड (क) में संदर्भित ब्यूरो के निदेशों पर विचार और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ग) के अधीन कार्रवाई के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजेगा;
- (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी अनुज्ञा-पत्र धारक का नाम, ब्रांड का नाम, मॉडल का नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिदेश किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति से दो महीने के भीतर प्रकाशित करेगा; और
- (घ) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञा-पत्र धारक और व्यापारी के खिलाफ आगे की कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित राज्य नामित अभिकरणों को सूचित करेगा।

**12. अनुमति रद्द करना -** ब्यूरो विनियम 7 के अधीन दी गई अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञा-पत्र धारक,

- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का भुगतान करने में विफल रहता है; और
- (ग) नियम 11 के अधीन जारी निदेश का पालन नहीं करता है।

परंतु अनुमति रद्द करने के संबंध में अनुज्ञा-पत्र धारक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कोई भी आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./219/2023-24]

**प्ररूप I – (क)**

**[विनियम 6 (2) देखें]**

**(कंपनी के लैटर हैड में मुद्रित किया जाना है)**

**ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के अधीन ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-I, आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110 066, भारत.

मैं/हम ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के/का निर्माता/निर्माता हूँ/हैं, जो ..... (व्यवसाय का पूरा पता) पर ..... की शैली के अधीन (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) व्यवसाय कर रहे हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन कर रहे हैं।

उपकरण, कंपनी, निर्माण सुविधा और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण उपाबंध में दिया गया है। फर्मों या सोसायटी के रजिस्ट्रार या उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी किए गए निगमन के प्रमाण पत्र या फर्म के नाम और उसके निर्माण परिसर को प्रमाणित करने वाले ऐसे अन्य दस्तावेजों की एक फोटो प्रति संलग्न हैं।

(क) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति:..... (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म या अन्य प्राधिकारियों की ओर से यह आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत है, और इस आवेदन-पत्र के साथ प्रदान की गई जानकारी की सत्यता के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) संपर्क व्यक्ति (नाम और पदनाम) इस आवेदन-पत्र और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए संपर्क व्यक्ति होने के लिए प्राधिकृत है।

(ग) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी भी बदलाव के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देते हैं।

3. उक्त उपकरण के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के अनुसार उसका मूल्य इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
पिछला वर्ष.....से.....तक			
वर्तमान वर्ष.....से ..तक (अनुमान)			

4. एक लाख रुपये या पच्चीस हजार रुपये का लेबल सुरक्षा फीस, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान किया गया है (केवल लेबल सुरक्षा फीस जमा करने के समय भरा जाना है).

5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत हैं।

7. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को प्राधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

8. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में प्रदान की गई सूचना मेरी अच्छी जानकारी के अनुसार सही है, और यदि प्रदान की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन को तत्काल अस्वीकार किया जा सकता है। तारीख ..... दिन .....(वर्ष)

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

.....के लिए और की ओर से

प्ररूप का नाम) /फर्म की मोहर

उपाबंध

[प्ररूप 1 – (क) का पैरा 2 देखें]

### 1.1 साधारण:

निर्माता और ब्रांड का नाम	
ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप का मिलीमीटर में आकार	
ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप का रंग तापमान	
ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप का व्यापारिक नाम	
मॉडल और निर्माण का वर्ष	
रजिस्ट्रीकरण संख्या और व्यापारिक चिह्न की तारीख	
वाट में ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप की रेटिंग	
आईएसआई प्रमाणपत्र विवरण (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	

गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र विवरण (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
चमकदार प्रभावकारिता (लुमेन/वाट में)	

**1.2 तकनीकी विवरण:**

क्र.सं.	मॉडल नाम/सं.	मापित मूल्य				घोषित मूल्य				अभ्युक्तियां
		पावर (वाट्स)	चमकदार प्रवाह (लुमेन)	चमकदार प्रभावकारिता (एलएम/डब्ल्यू)	स्टार स्तर या दक्षता स्तर	पावर (वाट्स)	चमकदार प्रवाह (लुमेन)	चमकदार प्रभावकारिता (एलएम/डब्ल्यू)	स्टार स्तर या दक्षता स्तर	

**2. कंपनी के विवरण:**

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
लेबल सुरक्षा फीस जमा करने के समय अनुज्ञा-पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:	
(1) आवरण पत्र	
(2) निर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज	
(3) ट्रेड मार्क प्रमाण-पत्र	
(4) एसएसआई प्रमाणपत्र, यदि लागू हो	
(5) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र	
(6) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पत्र	
(7) बीआईएस अनुज्ञप्ति, यदि लागू हो	
(8) डिमांड ड्राफ्ट (सिक्क्योरिटी डिपॉजिट)/ भुगतान की रसीद, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है	



**3. विनिर्माण परिसरों के विवरण:**

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विवरण (यदि कोई है)	

**4. परीक्षण प्रयोगशाला के विवरण:**

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रयोगशाला की प्रत्यायन स्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
प्रासंगिक मानक के अनुसार प्रत्यायन की स्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
प्रत्यायन की वैधता (समर्थित दस्तावेज़ संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	

**5. लेबलिंग सूचना:**

प्रारंभ होने की तारीख	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए आवेदित लेबलों की संख्या प्रथम वर्ष के लिए- दूसरे वर्ष के लिए- तीसरे वर्ष के लिए-	
उत्पादन क्रम संख्या	से ..... तक.....

**6. भुगतान का विवरण:**

	कुल रकम	भुगतान के विवरण (डिमांड ड्रॉफ्ट विवरण/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विवरण)
--	---------	---

आवेदन फीस		
सुरक्षा फीस		

तारीख:

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम .....

के लिए ओर की ओर से .....

(फर्म का नाम)

फर्म की मोहर

### प्ररूप 1

#### [नियम 6 देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के अधीन ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली -110 066 , भारत.

मैं/हम ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के निर्माता या आयातक हैं, जो \_\_\_\_\_ (व्यापार का पूरा पता) पर \_\_\_\_\_ (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) की शैली के अधीन व्यापार कर रहे हैं, एतद्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 में ब्यूरो द्वारा यथा विविनिर्दिष्ट ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन कर रहे हैं।

2. विनिर्माण सुविधा: उपरोक्त उपकरण \_\_\_\_\_ (कंपनी का नाम) द्वारा निर्मित या आयात किया जाता है और इसे \_\_\_\_\_ (कारखाने का नाम और पता) में निर्मित किया जाता है।

3. सूचना का विवरण: उपकरण, कंपनी, निर्माण सुविधा, परीक्षण उत्पादों के प्रमाणन, लेबल और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण उपाबंध में दिया गया है। फर्मों या सोसायटी के रजिस्ट्रार /उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन के प्रमाण पत्र या फर्म के नाम और उसके निर्माण परिसर को प्रमाणित करने वाले ऐसे अन्य दस्तावेजों की की एक फोटो प्रति संलग्न है।

(क) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति: \_\_\_\_\_ (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म/आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए प्राधिकृत है, और इस आवेदन-पत्र के साथ प्रदान की गई जानकारी की सत्यता और प्रामाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) संपर्क व्यक्ति: \_\_\_\_\_ (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

(ग) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी भी बदलाव के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देते हैं।

4. मानकों के साथ अनुरूपता: मैं/हम गुणवत्ता प्रणाली/अन्य मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो/अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईएस/अन्य (मानक का नाम और संख्या) \_\_\_\_\_ के अनुसार, जैसा कि \_\_\_\_\_ को अधिसूचना (अधिसूचना का शीर्षक) में \_\_\_\_\_ (उपकरण का नाम) के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है/हैं, का अनुपालन करते हैं। उपरोक्त उपकरण के संबंध में अनुज्ञप्ति/प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न है।

मैंने/हमने अपनी घरेलू प्रयोगशाला \_\_\_\_\_ या स्वतंत्र प्रयोगशाला \_\_\_\_\_ (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण की व्यवस्था की है जो नेशनल एक्क्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज (एनएबीएल) या इंटरनेशनल लैबोरेट्रीज एक्क्रेडिटेशन को-ऑपरेशन (आईएलएसी) या एशिया पेसिफिक लैबोरेट्री एक्क्रेडिटेशन को-ऑपरेशन (एपीएलएसी) या उपकरण की गुणवत्ता के साथ-साथ संबंधित भारतीय मानक / अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन / अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग मानकों के दायरे में, जैसा कि .....का.आ.. में विनिर्दिष्ट है, में स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु समकक्ष निकाय से मान्यता प्राप्त है।

ख) परीक्षण के विवरण (परीक्षण प्रक्रिया/नाम/संख्या)

ख) एक्क्रेडिटेशन स्थिति:

ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन:

5. उक्त उपकरण के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े तथा उसका मूल्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के अनुसार इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) (रु.)
पिछला वर्ष _____ से _____ तक			
चालू वर्ष _____ से _____ (अनुमान) तक			

6. (क) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान किया गया दो हजार रुपये का आवेदन फीस.

(ख) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से एक लाख रुपये या पच्चीस हजार रुपये \_\_\_\_\_ के लेबल सुरक्षा फीस का भुगतान किया गया है.

(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस का भुगतान करने के लिए सहमत हैं.

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हैं.

8. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को प्राधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

9. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन-पत्र में प्रदान की गई सूचना मेरी अच्छी जानकारी के अनुसार सही है, और यदि प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है; आवेदन को तत्काल निरस्त किया जा सकता है.

आज तारीख..... (वर्ष)

भवदीय,

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

के लिए और की ओर से .....

(फर्म का नाम)

फर्म की मोहर

**उपाबंध**  
**[प्ररूप 1 का पैरा 3 देखें]**  
**सूचना का विवरण**

**1.1 साधारण:**

निर्माता और ब्रांड का नाम	
मिलीमीटर में ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप का आकार	
ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप का रंग तापमान	
ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप का व्यापार नाम	
मॉडल और निर्माण का वर्ष	
रजिस्ट्रीकरण संख्या और व्यापार चिह्न की तारीख	
वाट में ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप की रेटिंग	
आईएसआई प्रमाणपत्र विवरण (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र विवरण (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
चमकदार प्रभावकारिता (लुमेन/वाट में)	

**1.2 तकनीकी विवरण:**

क्र.सं.	मॉडल नाम/सं.	मापित मूल्य				घोषित मूल्य				अभ्युक्तियां
		पावर (वाट्स)	चमकदार प्रवाह (लुमेन)	चमकदार प्रभावकारिता (एलएम/डब्ल्यू)	स्टार स्तर या दक्षता स्तर	पावर (वाट्स)	चमकदार प्रवाह (लुमेन)	चमकदार प्रभावकारिता (एलएम/डब्ल्यू)	स्टार स्तर या दक्षता स्तर	

**2. कंपनी के विवरण:**

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	

लेबल सुरक्षा फीस जमा करने के समय अनुज्ञा-पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:	
(1) आवरण पत्र	
(2) निर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़	
(3) ट्रेड मार्क प्रमाण-पत्र	
(4) एसएसआई प्रमाणपत्र, यदि लागू हो	
(5) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र	
(6) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पत्र	
(7) बीआईएस अनुज्ञप्ति, यदि लागू हो	
(8) डिमांड ड्राफ्ट (सिक्योरिटी डिपॉजिट)/ भुगतान रसीद यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है	

### 3. विनिर्माण परिसरों के विवरण:

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विवरण (यदि कोई है)	

### 4. परीक्षण प्रयोगशाला के विवरण:

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रयोगशाला की प्रत्यायन स्थिति (प्रत्यायन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	
संगत मानकों की प्रत्यायन स्थिति (प्रत्यायन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	
प्रत्यायन की वैधता (समर्थित दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	

फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	



#### 5. लेबलिंग जानकारी:

प्रारंभ होने की तारीख	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए आवेदित लेबलों की संख्या प्रथम वर्ष के लिए- दूसरे वर्ष के लिए- तीसरे वर्ष के लिए-	
उत्पादन क्रम संख्या	से ..... तक.....

#### 4. मॉडल विवरण:

मॉडल	मॉडल नाम/मॉडल संख्या

#### 5. ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दर्शाया गया है:

	<b>LUMINOUS EFFICACY</b> (lm/W)	Appliance/Type : TFL/XX Brand : ABC Model/Year : XYZ/YYYY Rated Power : XXX (Watts) Rated Luminous Flux : XXX (lumens) Rated Life : XXX (hours) Colour Temperature : YYY(K) Electricity Savings/Year** : XX kWh CO <sub>2</sub> Emission Reduction/Year** : XX KgCO <sub>2</sub>	
	<b>108*</b>	*Under test conditions when tested in accordance with relevant standards. Actual efficiency will vary as per site conditions. **Based on the theoretical calculations.	

पत्र में प्रदान किए गए विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के बाहरी हिस्से/आवरण पर चिपकाए गए लेबल में किया जाना है।

#### (2) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप



4. लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग योजना की सामग्री अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी।

तारीख:

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम.....

के लिए और की ओर से.....

(फर्म का नाम) / फर्म की मोहर

प्ररूप 2- (क)

[विनियम 7 (1) (क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के अधीन ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण की अनुमति

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में

.....  
 .....

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, ब्यूरो एतद्वारा आपको इस पत्र के साथ उपाबंध में विहित अनुमोदन के विवरणों के अनुसार अपने ब्रांड को रजिस्ट्रीकृत करने की अनुमति देता है।
- यह अनुमति निम्नलिखित के अधीन रहते हुए है-
  - ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लिए ऊर्जा खपत मानकों और उपरोक्त विनियमों में उपबंधित निबंधनों और शर्तों के अनुरूप है;
  - ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल की छपाई होगी जिसके लिए अनुमति दी गई है;
  - अनुज्ञा-पत्र धारक की लागत पर ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर लेबल की छपाई और उसे चिपकाया जाना है;
  - अनुज्ञा-पत्र धारक सुनिश्चित करे कि ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;
  - अनुज्ञा-पत्र धारक ब्यूरो द्वारा विविनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान करे;
  - अनुज्ञा-पत्र धारक ब्यूरो को वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद महीने के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबल किए गए उपकरण के उत्पादन और अर्जित लेबलिंग फीस के विवरण के साथ एक विवरणिका प्रस्तुत करे। यही विवरण ब्यूरो को भी एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
  - अनुज्ञा-पत्र धारक ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप, जिसकी अनुमति दी गई है, के ऐसे अन्य विवरण, जब भी ब्यूरो द्वारा मांगे जाते हैं, उपलब्ध कराए।
- अनुज्ञा-पत्र धारक वैधता अवधि के दौरान ब्यूरो की पूर्व स्वीकृति के बगैर रजिस्ट्रीकृत ब्रांड और ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप को बाजार से वापस नहीं लेगा।
- ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड ..... है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
- आज तारीख.....माह.....वर्ष को मोहर के साथ हस्ताक्षरित।

भवदीय,

सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप 2-(क) का पैरा 1 देखें]

स्वीकृतियों का विवरण

## 1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	

फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	

2. रजिस्ट्रीकृत ब्रॉन्ड का नाम:
  3. विशिष्ट श्रृंखला कोड:
  4. अन्य विवरण, यदि लागू हैं:
- तारीख:

भवदीय,  
सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

### प्ररूप 2

[उप-विनियम 7(1)(ख)]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के अधीन ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर लेबल लगाने की अनुमति/अनुमति का नवीकरण

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, ब्यूरो आपको उपाबंध में विहित अनुमोदनों के विवरण के अनुसार लेबल लगाने की अनुमति देता है।
2. यह अनुमति निम्नलिखित के विषयाधीन है—
  - (क) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लिए ऊर्जा खपत मानकों और पूर्वोक्त विनियमों में प्रदान की गई शर्तों के अनुरूप होगा;
  - (ख) लेबल केवल ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के ऐसे मॉडल पर लगाया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;
  - (ग) लेबल को अनुज्ञा-पत्र धारक की लागत पर ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर मुद्रित और चिपकाया जाएगा;
  - (घ) अनुज्ञा-पत्र धारक यह सुनिश्चित करेगा कि ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाए;
  - (ङ) अनुज्ञा-पत्र धारक प्रति लेबल पांच पैसे के लेबल फीस का भुगतान करेगा;
  - (च) अनुज्ञा-पत्र धारक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद महीने के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबल किए गए उपकरणों के उत्पादन और अर्जित लेबलिंग फीस के विवरण के साथ ब्यूरो को एक विवरणिका प्रस्तुत करेगा। वही विवरण ब्यूरो को भी स्वचालित प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
  - (छ) अनुज्ञा-पत्र धारक जब भी ब्यूरो मांग करेगा, ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के ऐसे अन्य विवरण उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है।
3. यह अनुमति ..... से ..... तक के लिए मान्य होगी और विहित किए अनुसार इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। अनुज्ञा-पत्र धारक अनुमति की वैधता अवधि के दौरान ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बगैर ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप को बाजार से वापस नहीं लेगा।
4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उपकरण के लिए विनिर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड ..... है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।



5. जहां कहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षा करने पर स्टार स्तर की योजनाएं संशोधित की जाती हैं, ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप का स्टार स्तर निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:-
- (क) यदि नया मॉडल संशोधित स्टार स्तर के साथ सिंक्रनाइज़ करते हुए लॉन्च किया जाता है, तो इस तरह की अनुमति के लिए एक आवेदन ब्यूरो को उस तारीख से छह महीने पहले प्रस्तुत किया जाएगा, जब से नया स्टार स्तर लागू होता है;
- (ख) जहां मौजूदा मॉडल संशोधित स्टार स्तर को प्रभावी बनाए रखना जारी रखता है, ब्यूरो को केवल प्ररूप 4 में एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी.
6. आज तारीख.....माह.....वर्ष को मोहर के साथ हस्ताक्षरित.

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

## उपाबंध

[प्ररूप 2 का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों के विवरण

## 1. उपकरण के विवरण

(a) ब्रॉन्ड:

(b) मॉडल विवरण:

मॉडल	मॉडल नाम	मॉडल संख्या


(ग) तकनीकी विशिष्टता:

क्र.सं.	मॉडल नाम/सं.	मापित मूल्य				घोषित मूल्य				अभ्युक्तियां
		पावर (वाट्स)	चमकदार प्रवाह (लुमेन)	चमकदार प्रभावकारिता (एलएम/डब्ल्यू)	स्टार स्तर या दक्षता स्तर	पावर (वाट्स)	चमकदार प्रवाह (लुमेन)	चमकदार प्रभावकारिता (एलएम/डब्ल्यू)	स्टार स्तर या दक्षता स्तर	

## 2. लेबल विवरण

उपकरण और प्रकृति	
निर्माता/आयातक/ब्रांड का नाम	
मॉडल और निर्माण का वर्ष	
स्टार स्तर	
रेटेड वाट क्षमता (वाट)	
रेटेड चमकदार प्रवाह (लुमेन)	
रेटेड चमकदार दक्षता (लुमेन/वाट)	
लेबल अवधि	
विशिष्ट श्रृंखला कोड	

3. लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग योजना की सामग्री इस विनियम की अनुसूची में यथा विविनिर्दिष्ट होगी।
4. ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर चिपकाए जाने हेतु ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है (मॉडल के वर्ग के लिए अलग नमूना संलग्न है)



पत्र में प्रदान की गई विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के बाहरी हिस्से/आवरण पर चिपकाए गए लेबल में किया जाना है।

(2) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप



5. लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग योजना की सामग्री अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

तारीख .....

भवदीय,

सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

### प्ररूप 3

[विनियम 7 का उप-विनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अनुज्ञा-पत्र धारक का रजिस्टर (नमूना)

क्र.सं.	आवेदन-पत्र संख्या और अनुमति की तारीख	अनुज्ञा-पत्र धारक का नाम और विवरण (संपर्क व्यक्ति, पता, पिनकोड, राज्य, फोन नं., फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उपकरण के विवरण जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई है	घोषित स्टार स्तर या दक्षता स्तर	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुमति संख्या और विशिष्ट लेबल श्रृंखला	अवधि जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल सुरक्षा फीस की रकम	प्राप्त लेबल सुरक्षा फीस (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन (विवरण): तारीख:)	प्राप्त आवेदन-पत्र फीस की रकम	प्राप्त आवेदन-पत्र फीस रकम का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन (विवरण): तारीख:)
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चिपकाए गए लेबल्स की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को देय लेबलिंग फीस की रकम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त लेबलिंग फीस विवरण (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन विवरण): तारीख:)	अभ्युक्तियां
(12)	(13)	(14)	(15)

#### प्ररूप 4

[विनियम 7 के उप-नियम (7) देखें]

विद्यमान मॉडल पर लेबल लगाने की अनुमति जारी रखने की स्वीकृति हेतु अनुज्ञा-पत्र धारक द्वारा घोषणा (प्रत्येक अलग मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)  
(कॉर्पोरेट निकाय/अनुज्ञा-पत्र धारक के लेटर हेड पर)

तारीख:

सेवा में  
महानिदेशक  
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,  
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)  
चौथा तल, सेवा भवन,  
सेक्टर 1, आर के पुरम,  
नई दिल्ली -110 066  
भारत.

विषय: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के अधीन.....से प्रभावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन.

1. मैं/हम ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के निर्माता या आयातक हैं, जो \_\_\_\_\_ (कंपनी का नाम साथ में पूरा पता) पर \_\_\_\_\_ (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) की शैली के अधीन व्यापार कर रहे हैं, एतद्वारा ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर, ब्यूरो द्वारा यथा विविनिर्दिष्ट, लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन कर रहे हैं जो .....से प्रभावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण के लिए जाएगा।
2. उपरोक्त उपकरण [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा निर्मित या आयात किया जाता है और (कारखाने का नाम और पता) में निर्मित या (आयातक का नाम और पता) से आयात किया जाता है;

3. नए स्टार स्तर के अनुरूप: मैं/हम ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या.....तारीख... में यथा विविनिर्दिष्ट सारणी..... के अनुसार सारणी परिवर्तन के अनुपालन में हैं। उपरोक्त उपकरण के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन (जो पहले अनुमोदित किया गया था) की एक प्रति संलग्न है।
4. ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के संबंध में ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।
5. स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुरूप उपकरण/मॉडल के विवरण

मॉडल नाम - \_\_\_\_\_

विवरण	घोषित मूल्य	
पावर (वाट)	--	
चमकदार प्रवाह (लुमेन)		
चमकदार दक्षता (एलएम / डब्ल्यू)		
स्टार रेटिंग	(वर्तमान स्तर के अनुरूप)	(संशोधित स्टार स्तर के अनुरूप)

6. मैं/हम मैनुअल आवेदन-पत्र और ऑनलाइन वेब पोर्टल पर स्टार स्तर को [मौजूदा स्टार लेबल स्तर] से [संशोधित स्टार लेबल स्तर] में बदलने के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैंने ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप मॉडल के लिए आज तक का अपना त्रैमासिक उत्पादन डेटा और लेबलिंग फीस जमा कर दिया है।
8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हूँ।
9. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन हेतु ब्यूरो को प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
10. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन-पत्र में प्रदान की गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है, और यदि प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो आवेदन को तत्काल अस्वीकार किया जा सकता है।

तारीख:

दिन ..... (वर्ष)

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

के लिए और की ओर से .....

.....

(फर्म का नाम)

फर्म की मोहर

### प्ररूप 5

[विनियम 11 (3) देखें]

चुनौती परीक्षण /दूसरा परीक्षण देखने के लिए अनुमति प्राप्त करने वाले को सूचना

सेवा में

नई दिल्ली, तारीख.....

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र

सं.....तारीख के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अनुपालन के अधीन ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंपों पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

2. ब्यूरो ने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 11 के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार लेबल वाले ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप आपके प्राधिकृत वितरक/डीलर/खुदरा विक्रेता से चालान संख्या ..... तारीख ..... के अधीन..... रुपये मूल्य पर खरीदा था और नमूने के रूप में तारीख.....को स्वतः परीक्षण या चुनौती परीक्षण के प्रयोजन के लिए उठाया गया था। उपरोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर, जिसे आपके द्वारा उपरोक्त खरीदे गए ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर चिपकाया गया था, प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण मैसर्स..... द्वारा नमूने खरीदे गए थे। मैसर्स .....द्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद नमूना, जिस पर क्रम संख्या.....उल्लिखित है, सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों के साथ मैसर्स..... (वितरक, डीलर, खुदरा विक्रेता का नाम) से प्राप्त किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपनी उपरोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूने को अधिसूचना संख्या का.आ. ....के उपाबंध में दिए गए प्ररूप के अनुरूप परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. ....तारीख.....के पैरा 3,4 और 5 में इंगित परीक्षण प्रक्रिया के अनुरूप परीक्षण संचालित करने हेतु मैसर्स-----, नेशनल एक्सेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, में पहुँचाया था।

4. उत्पाद का विवरण और स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न है। अतः, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो .....(तारीख) को, नेशनल एक्सेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज से मान्यता प्राप्त.....(प्रयोगशाला का नाम) में स्वप्रेरणा से परीक्षण/चुनौती परीक्षण (यथा लागू) संचालित कर रहा है।

5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो आपको एतद्वारा सूचित करता है कि-

(i) उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख को चुनौती परीक्षण/द्वितीय परीक्षण देखने के लिए एक पदधारी को, नामांकित पदधारी के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर (मूल रूप में) दर्शाते हुए, एक प्राधिकार पत्र के साथ नामित करें (पत्र पर कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सम्यक रूप से हस्ताक्षर होंगे और मुहर लगी हो)।

(ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपाबंध में यथा उल्लिखित खरीद, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक खर्चों की लागत जमा करें (खर्च इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से जमा किया जाएगा)।

6. आप यह नोट कर सकते हैं कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या द्वितीय परीक्षण द्वारा सत्यापन को जारी रखेगा, भले ही यथा विनिर्दिष्ट उपरोक्त खर्च समय पर जमा नहीं किए गए हों या पदधारियों को नामित नहीं किया गया हो और इस मामले में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के अनुरूप आगे की कार्रवाई करेगा।

7. हस्ताक्षरित, मुहरबंद और तारीख.....दिन.....माह.....वर्ष।

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक:

1. उत्पाद/स्वतःपरीक्षण परिणाम
2. उपाबंध V(क)
3. खर्चों से संबंधित चालान

उपाबंध

[प्ररूप 5 का पैरा 5 देखें]

सूचना के विवरण

1. चुनौती परीक्षण/द्वितीय परीक्षण हेतु उठाए गए उत्पाद या उपकरण के विवरण

ब्रॉन्ड नाम:
विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड:
मॉडल नाम/मॉडल संख्या:
रेटिड वाटेज अथवा वाटेज रेंज
रेटिड वाटेज (वाॉट)
रेटेड चमकदार प्रवाह (लुमेन)
रेटेड चमकदार प्रभावकारिता (लुमेन / वाट)
स्टार रेटिंग

1. ब्यूरो में जमा की जाने वाली रकम:

विवरण	संख्या/खर्च (भारतीय रूपये में)
नमूनों की संख्या	
प्रति नमूना लागत	
कुल क्रय लागत	
कुल परीक्षण प्रभार	
परिवहन प्रभार (यदि लागू है)	
अन्य (यदि लागू है)	
अनुज्ञा-पत्र धारक द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल रकम	

2. स्वत- परीक्षण के परिणाम (यदि लागू है):

क्र.सं.	ब्रॉन्ड	मॉडल नाम/सं.	मापित मूल्य				घोषित मूल्य			अभ्युक्तियां
			पावर (वाॉट्स)	चमकदार प्रवाह (लुमेन)	चमकदार प्रभावकारिता (एलएम/डब्ल्यू)	स्टार स्तर या दक्षता स्तर	पावर (वाॉट्स)	चमकदार प्रवाह (लुमेन)	चमकदार प्रभावकारिता (एलएम/डब्ल्यू)	

तारीख:.....

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

## प्ररूप 6

[विनियम 11 का उप-विनियम (5) देखें]

द्वितीय जांच परीक्षण के विफल होने पर अनुज्ञा-पत्र धारक को निदेश

सेवा में

नई दिल्ली, तारीख .....

.....  
 .....  
 .....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र सं.....तारीख के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अनुपालन के अधीन ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंपों पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

2. ब्यूरो ने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 11 के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार लेबल वाले ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप आपके प्राधिकृत वितरक/डीलर/खुदरा विक्रेता से चालान संख्या ..... तारीख ..... के अधीन..... रुपये की कीमत पर खरीदा था और उपरोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन, लेबल पर प्रदर्शित विवरणों, जिसे आपके द्वारा उपरोक्त खरीदे गए ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर चिपकाया गया था, के सत्यापन हेतु ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण मैसर्स..... द्वारा नमूने के तौर पर उठाया गया था। मैसर्स .....द्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद नमूना, जिस पर क्रम संख्या.....उल्लिखित है, सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों के साथ मैसर्स..... (वितरक, डीलर, खुदरा विक्रेता का नाम) से प्राप्त किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपनी उपरोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूने को का.आ. संख्या.....तारीख के उपाबंध में दिए गए प्ररूप..... के अनुरूप परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए का.आ.....तारीख.....के पैरा 4 और 5 में इंगित परीक्षण प्रक्रिया के अनुरूप परीक्षण संचालित करने हेतु मैसर्स-----, नेशनल एक्सेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, में पहुँचाया था।

4. विशिष्ट पहचान क्रम संख्या वाले नमूने पर परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम बताते हैं कि सैंपल ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप 50% लोडिंग पर कुल हानि और 100% पर कुल हानि आदि पर प्रकृति परीक्षण को पूरा करने में विफल रहे और आपके द्वारा निर्मित/आयातित ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर लेबल लगाने की अनुमति लेने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप 1 में प्रेषित परीक्षण विवरण के अनुरूप नहीं थे। परीक्षण के परिणाम आपको आपके प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या... तारीख ..... द्वारा भेजे गए थे। आपसे यह भी अनुरोध किया गया था कि आप नेशनल एक्सेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्री से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला मैसर्स..... में नमूनों की दूसरी जांच सत्यापन परीक्षण में भाग लें और उसका साक्षी बनें।

5. दूसरी जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूना.... तारीख ....को हमारी प्राधिकृत अभिकरण मैसर्स.....के माध्यम से उठाया गया था और हमारी प्राधिकृत अभिकरण मैसर्स ..... द्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद नमूना नेशनल एक्सेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्री से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला... में भेजा गया तथा सत्यापन अभिकरण सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के अधीन ..... से प्राप्त उक्त नमूने पर विशिष्ट पहचान क्रम संख्या अंकित की गई थी।

6. दूसरे जांच परीक्षण के परीक्षण परिणाम संलग्न हैं, जिनकी नेशनल एक्सेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्री से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कर्मियों द्वारा जांच की गई है और प्रतिहस्ताक्षरित हैं। परीक्षण रिपोर्ट भी आपके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दूसरे जांच परीक्षण के साक्षी के तौर पर सम्यक रूप से हस्ताक्षरित है। परीक्षण के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे एस. ओ. संख्या.....तारीख..... में दिए गए अपेक्षित मापदंडों और मानकों और निर्मित/आयातित और बाजार में बेचे गए ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर चिपकाए गए लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए आपको दी गई अनुमति के निबंधन और शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

7. अतः अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के खंड (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो एतद्वारा निदेशित करता है कि:-

- (i) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करें या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करें;
- (ii) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरणों को बदल दें.

8. आपको एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर उपरोक्त सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करें और दो महीने की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर अर्थात्.....तक प्ररूप 4 में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (6) के खंड (ख) के अनुसार कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेगा।

9. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 11 के विनियम (5) (6) (7) और (8) के अनुरूप मामले में आगे अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक:

1. असफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्टें
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

#### प्ररूप 7

[विनियम 11 का उप-विनियम (6) देखें]

कार्रवाई रिपोर्ट

(संगठन के लैटरहेड पर प्रेषित किया जाना है)

सेवा में

तारीख .....

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर के पुरम,

नई दिल्ली -110 066 , भारत.

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, हमें, मेसर्स..... ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के निर्माता को मॉडल संख्या..... के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र सं.....तारीख.....के अधीन ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर .....स्टार लेवल के ऊर्जा खपत मानक के अनुरूप लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अनुसरण में, हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र क्रमांक..... तारीख.....के अधीन आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु निदेश दिए गए थे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी निदेशों के प्रकाश में, हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारे स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

	निदेशित कार्रवाई	स्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निदेशों का पालन करते हुए ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करें	हां/नहीं/लागू नहीं	(तारीख).....से स्टार लेवल ठीक करके ..... स्टार से ..... स्टार कर दिया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निदेशों का पालन करते हुए बाजार से सभी स्टॉक्स वापस ले लें। और	हां/नहीं/लागू नहीं	ब्यूरो के निदेशों का पालन करते हुए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लिए गए हैं।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरण बदलें।	हां/नहीं/लागू नहीं	हां/नहीं/लागू नहीं

उपरोक्त घोषणा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

के लिए और की ओर से.....

कंपनी/प्ररूप का नाम आदि

फर्म/कंपनी की मोहर”.


### अनुसूची

[विनियम 3 का उप-विनियम (2) देखें]

ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लेबल पर प्रदर्शित किए वाले विवरण


(1) लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना और लेबल की सामग्री में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(i) बाहरी हिस्से/आवरण पर चिपकाए जाने वाले लेबल का आयाम



**टिप्पण:** बाहरी आवरण के आकार के अनुसार लेबल के आयाम अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं, परंतु लेबल का आकृति अनुपात समान रहेगा।

(ii) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर मुहर लगाने के लिए लेबल का आयाम




**टिप्पण:** ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के व्यास के अनुसार लेबल के आयाम अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं, परंतु लेबल का आकृति अनुपात समान रहेगा

(ii) लेबल के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम, अर्थात:-

गहरा नीला – सी: 97, एम:95, वाई:6, के:1

हरा – सी: 81, एम: 10, वाई:90, के:1

**टिप्पण:** ब्यूरो के लोगो के नीचे और स्टार फिलर केवल हरे रंग में और सभी फोंट और ब्यूरो के लोगो के ऊपर गहरे नीले रंग में



(iii) ब्यूरो के लोगो के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम, अर्थात्: -

**नीला –**

ह्यू (एच) -2390 संतृप्ति (एस): 64% चमक (बी): 59%

चमक या हल्कापन (एल):28, रंगीन घटक -ए:24 बी:54

लाल (आर): 54 हरा (जी): 55 नीला (बी): 151

सियान (सी): 97% मैजेंटा (एम): 95% पीला (वाई): 6% काला (के): 1%

वेब कलर कोड - #363797

**हरा -**

ह्यू (एच) -1500 संतृप्ति (एस): 10% चमक (बी): 67%

चमक या हल्कापन (एल):61, रंगीन घटक -ए:-53 बी:32

लाल (आर): 0 हरा (जी): 170 नीला (बी): 87

सियान (सी): 81% मैजेंटा (एम): 10% पीला (वाई): 90% काला (के): 1%

वेब कलर कोड - #00एए56;हरा;

## (2) लेबल सामग्री

लेबल स्वयं चिपकने वाला होगा और ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर मुद्रित होगा और लेबल के लिए आयाम डिजाइन स्कीम में दर्शाई गई रूपरेखाओं में से एक में काटा जाएगा।

**BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2023

**F. No. BEE/S&L/TFL/22-23.**—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps), Regulations 2023, were published *vide* notification number BEE/S&L/TFL/22-23, as required sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objection or suggestion from persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the said notifications in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on 31<sup>st</sup> March, 2023;

And whereas no suggestions or comments have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), and in supersession of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2018, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby amends the following regulations, namely:-

**1. Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps), (Regulations), 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definition:** - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
- (b) “Bureau” means the Bureau of Energy Efficiency established under sub-section (1) of section 3 of the Act.
- (c) “Form” means the Forms appended to these regulations;
- (d) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the tubular fluorescent lamp;
- (e) “label period” means the validity period of the luminous efficacy under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act:  
Provided that if, the validity period of the luminous efficacy is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government.
- (f) “models or family of models” means the product or range of products of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the products have the same physical characteristics, luminous efficacy, star rating level and performance characteristics;
- (g) “permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (h) “Schedule” means the Schedule annexed to these regulations;
- (i) “star rating or star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the tubular fluorescent lamp based on energy consumption standard notified by the Central Government under the Act;
- (j) “trader or seller” in relation to any labelled tubular fluorescent lamp means a person who sells or distributes such tubular fluorescent lamp and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such tubular fluorescent lamp;

(k) “tubular fluorescent lamps” means an appliance notified by the Central Government under the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Particulars to be displayed on label.** - (1) On every tubular fluorescent lamp, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

- (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) name of manufacturer or importer and brand;
- (c) size of tubular fluorescent lamp and colour temperature;
- (d) trade name and number;
- (e) model and year of manufacturing or import;
- (f) unique series code;
- (g) rated power in Watts ;
- (h) star level of the tubular fluorescent lamp;
- (i) luminous efficacy in lm/W;
- (j) label period;
- (k) electricity savings in kWh;
- (l) CO<sub>2</sub> emission reduction in KgCO<sub>2</sub>

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

**4. Time limit for display of labels.**— (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every tubular fluorescent lamp within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller-

- (a) shall not produce the tubular fluorescent lamp with the previous energy consumption standards;
- (b) shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the tubular fluorescent lamp in synchronisation with revised energy consumption standards;
- (c) shall take necessary preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken in advance.

**5. Manner of display of label.** —

(1) There shall be a label on every tubular fluorescent lamp which shall be displayed at the point of sale and such label shall be affixed on the tubular fluorescent lamp in the following manner, namely:-

- (a) the label with colour programme after photographic reduction to 16 millimetre height shall be printed on the sleeve;
- (b) every manufacturer and importer shall mark the colour temperature on the sleeve;
- (c) the star marking as per the rating shall be printed on the tubular fluorescent lamp, the size of the stamp for the star marking shall be 14.5 millimetre height x 8.5 millimetre width and the same shall be stamped in a separate column.

**6. Permission for display of label.** — (1) No star label shall be affixed on a tubular fluorescent lamp without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) Company registration. — For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

(3) Model registration. — Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and
- (b) documents specified in Form I.

**7. Grant of permission.-** (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and labelling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, —

- (a) register the brand in Form II-(A) in electronic form; and
- (b) grant permission for affixing label on tubular fluorescent lamp in Form II in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.

(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

(5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.

(6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the tubular fluorescent lamp from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the tubular fluorescent lamp is planned to be launched to synchronise with the revised star level and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

**8. Terms and conditions for display of particulars on label.-** Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely: —

- (a) the star level displayed on the label of tubular fluorescent lamp shall conform to energy consumption standards for tubular fluorescent lamp notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) the label shall be affixed only on such model of tubular fluorescent lamp for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the tubular fluorescent lamp at the cost of permittee;
- (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of tubular fluorescent lamp shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30<sup>th</sup> day of April of each year; and
- (h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau shall specify including those contained in the Bureau's Manual on Standard and Labelling.

**9. Label fee.** — (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of five paise for each label affixed on the Tubular fluorescent lamps.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten percent per annum from the label security fee made under sub-regulation (2) of regulation 6, and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

**10. Refund of label security fee.** — Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture Tubular fluorescent lamps.

**11. Verification by Bureau.** — (1) The Bureau or its designated agency may, either suo motu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the tubular fluorescent lamp conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) For the purposes of verification, the Bureau or its designated agency may pick up samples at random from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the tubular fluorescent lamp in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, a notice shall be issued to the permittee in form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau, provided that the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where samples of tubular fluorescent lamp used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the permittee shall be offered another opportunity and the Bureau shall conduct second test with twice the quantity of tubular fluorescent lamp used in the first test in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee and the Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.

(5) Where the second test fails, the Bureau shall, —

(a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-

(i) correct the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamp or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months; and

(c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(6) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5), —

(a) send the compliance report in Form VII to Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.

(8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall, —

- (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
- (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;
- (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months; and
- (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

**12. Cancellation of permission.** — The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee, —

- (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9; or
- (c) does not comply with the direction issued under regulation 11;

Provided that no application shall be cancelled without giving permittee a reasonable opportunity of being heard in respect of cancellation of permission.

ABHAY BAKRE, Director General, Bureau of Energy Efficiency

[ADVT.-III/4/Exty./219/2023-24]

**FORM I – (A)**

[See regulation 6 (2)]

(To be printed in Company letter head)

**Application for registration of brand of Tubular Fluorescent Lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2023**

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066, India.

I/We am/are the manufacturer/manufacturers of Tubular Fluorescent Lamps carrying out business at..... (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Tubular Fluorescent Lamps as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2023.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/Authorised person: ..... (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

(b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above

3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from.....to.....			
Current year from.....to (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be has been paid by electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).
5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.
- Dated this .....Day of .....(Year)

Signature .....

Name .....

Designation .....

For and on behalf of.....

(Name of the firm) / SEAL OF FIRM

## Annexure

[See para 2 of Form I – (A)]

**1.1 General:**

Name of manufacturer and brand	
Size of tubular fluorescent lamp in millimetres	
Colour temperature of tubular fluorescent lamp	
Trade name of the tubular fluorescent lamp	
Model and year of manufacture	
Registration number and date of the trade mark(s)	
Rating of the tubular fluorescent lamp in watts	
ISI Certificate details (Attach copy of the certificate)	
Quality System Certificate details (Attach copy of the certificate)	
Luminous efficacy (in lumens/Watts)	

**1.2 Technical Details:**

Sl. No.	Model Name /No.	Measured Values				Declared Values				Remarks
		Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level or Efficiency level	Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level or Efficiency level	

**2. Details of the Company:**

Name of the Company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Documents to be submitted by the permittee at the time of submission of label security fee: (1) Covering letter	



(2) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	
(3) Trade Mark Certificate	
(4) SSI Certificate, if applicable	
(5) Quality Management System Certificate	
(6) Authorised Signatory Letter	
(7) BIS License, if applicable	
(8) Demand Draft (Security Deposit)/ payment receipt in case payment is made online	

**3. Details of the manufacturing premises:**

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

**4. Details of Test Laboratory:**

Name of the test laboratory	
Accreditation status of the Laboratory (Attach copy of the accreditation certificate)	
Accreditation status as per the Relevant Standard (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the Accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-Mail	
Web site	

**5. Labelling Information:**

Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of Energy Efficiency for the first year— for the second year— for the third year—	
Production serial number	From ..... to.....

**6. Payment details:**

	<b>Total Amount</b>	Details of Payment (Demand Draft details/ electronic payment details)
<b>Application fee</b>		
<b>Security fee</b>		

Date:

Signature.....

Name .....

Designation .....

For and on behalf of .....

(Name of the firm) Seal of firm

**FORM I**

[See regulation 6]

**Application for permission to affix label on Tubular fluorescent lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular fluorescent lamps), (Amendment) Regulations, 2023**

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4<sup>th</sup> Floor, Sewa Bhawan,

Sector – 1, R.K.Puram

New Delhi-110 066

India.

I/ We are the manufacturers or importers of Tubular fluorescent lamps carrying out business at \_\_\_\_\_ (full business address) under the style of \_\_\_\_\_ (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Tubular fluorescent lamps as specified by the Bureau in the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular fluorescent lamps), (Amendment) Regulations, 2023**.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by \_\_\_\_\_ (Name of the company) and is manufactured at \_\_\_\_\_ (Name and address of the factory)

3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/authorized person: \_\_\_\_\_ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.

(b) Contact Person: \_\_\_\_\_ (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above

4. Conformance to Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) \_\_\_\_\_ as specified in the notification on \_\_\_\_\_ (title of the notification) for the \_\_\_\_\_ (name of the equipment). A copy of the License / certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory \_\_\_\_\_ or at independent laboratory \_\_\_\_\_ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) or International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) or equivalent bodies for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian Standard/International Standard Organization/International Electro technical Commission standards as specified in S.O.....

a) Test details (test procedure/ name/number)

b) Accreditation status:

c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from _____ to _____			
Current year from ____ to____(estimate)			



**2. Details of the Company:**

Name of the Company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Documents to be submitted by the permittee at the time of submission of label security fee: <p style="text-align: center;">(1) Covering letter</p> (2) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises (3) Trade Mark Certificate (4) SSI Certificate, if applicable (5) Quality Management System Certificate (6) Authorised Signatory Letter (7) BIS License, if applicable (8) Demand Draft (Security Deposit)/ payment receipt in case payment is made online	

**3. Details of the manufacturing premises:**

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

**4. Details of Test Laboratory:**

Name of the test laboratory	
Accreditation status of the Laboratory (Attach copy of the accreditation certificate)	
Accreditation status of the Relevant Standard (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the Accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	

Fax number	
E-Mail	
Web site	

**5. Labelling Information:**

Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of Energy Efficiency for the first year— for the second year— for the third year—	
Production serial number	From ..... to.....

**6. Model Details:**

<b>Model</b>	<b>Model Name/Model Number</b>

**7. Specimen of the label to be affixed on the tubular fluorescent lamp is shown below:**

	<b>LUMINOUS EFFICACY</b> (lm/W)	Appliance/Type : TFL/XX Brand : ABC Model/Year : XYZ/YYYY Rated Power : XXX (Watts) Rated Luminous Flux : XXX (lumens) Rated Life : XXX (hours) Colour Temperature : YYY(K) Electricity Savings/Year** : XX kWh CO <sub>2</sub> Emission Reduction/Year** : XX KgCO <sub>2</sub>	
	<b>108*</b>	*Under test conditions when tested in accordance with relevant standards. Actual efficiency will vary as per site conditions. **Based on the theoretical calculations.	
Label Period: 1 <sup>st</sup> July 2023 to 30 <sup>th</sup> June 2026			

The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the outer casing/ sleeve of the tubular fluorescent lamp.

(2) Tubular fluorescent lamp



4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date:

Signature .....

Name .....

Designation .....

For and on behalf of.....

(Name of the firm) / SEAL OF FIRM

## FORM II – (A)

**[See regulation 7 (1) (a)]****Permission for registration of brand of Tubular fluorescent lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular fluorescent lamps) Regulations, 2023**

New Delhi, dated.....

To

.....  
 .....  
 .....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular fluorescent lamps) Regulations, 2023**, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.
2. This permission is subject to—
  - (a) the star level displayed on the label of the Tubular fluorescent lamps shall conform to energy consumption standards for Tubular fluorescent lamps notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
  - (b) the printing of the label only on such model of Tubular fluorescent lamps for which permission has been granted;
  - (c) the printing and affixture of the label on the Tubular fluorescent lamps at the cost of the permittee;
  - (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the Tubular fluorescent lamps shall be maintained at all time;
  - (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;
  - (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
  - (g) the permittee making available such other details of Tubular fluorescent lamps as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the Tubular fluorescent lamps from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day of .....month ..... year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

**Annexure**

[See para 1 of Form II-(A)]

**Details of Approvals****1. Details of the company**

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

**2. Name of the brand registered:****3. Unique series code:****4. Other details if applicable:**

Date:

faithfully,

Yours

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

**FORM II**

[Sub-regulation 7(1)(b)]

**Permission / Renewal of Permission to affix label on Tubular fluorescent lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular fluorescent lamps) Regulations, 2023**

New Delhi, dated the.....

To

.....  
 .....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular fluorescent lamps) Regulations, 2023**, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.

2. This permission is subject to—

- the star level displayed on the label of the Tubular fluorescent lamps shall conform to energy consumption standards for Tubular fluorescent lamps notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
- the label shall be affixed only on such model of Tubular fluorescent lamps for which permission has been granted;
- the label shall be printed and affixed on the Tubular fluorescent lamps at the cost of the permittee;
- the permittee shall ensure that the star level displayed on the Tubular fluorescent lamps shall be maintained at all time;
- the permittee shall pay the label fee of five paisa per label;
- the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated systems;

- (g) the permittee shall make available such other details of Tubular fluorescent lamps as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
3. This permission shall be valid for from ..... to .....and may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the Tubular fluorescent lamps from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment is.....and should appear on the label as per the approved design.
5. Where the star level plans on review is modified by the Central Government, the star level of the Tubular fluorescent lamps shall stand modified as follows:-
- (a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
- (b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.
6. Signed, sealed and dated this..... day of .....month..... year.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

**Annexure****[See para 1 of Form II]**

Details of Approvals

**1. Details of the equipment****(a) Brand:****(b) Model Details:**

Model	Model Name	Model Number

**(c) Technical Specification:**


Sl. No.	Model Name /No.	Measured Values				Declared Values				Remarks
		Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level or Efficiency level	Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level or Efficiency level	

**2. Label Details**

Appliance and Type	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model and Year of Manufacturing	
Star level	
Rated Wattage (Watts)	
Rated Luminous flux (Lumens)	
Rated Luminous Efficacy (Lumens/Watts)	
Label Period	
Unique Series Code	



3. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule of this regulation.
4. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the tubular fluorescent lamps is shown below (Separate specimens for family of models is annexed)



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the outer casing/ sleeve of the tubular fluorescent lamp.

(2) Tubular fluorescent lamp



5. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date .....

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

### FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

#### Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label Security Fee	Label Security Fee received by (Electronic transaction Date:)	Amount of Application Fees received	Details of Application Fee Amount received (Electronic transaction (Details) : Date : )
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labeling fee payable to Bureau of Energy Efficiency for each financial year	Labeling fee details received for each financial year (Electronic transaction Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

**FORM IV**

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body/Permittee)

Dated:

To

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th floor, Sewa Bhawan,

Sector 1, R.K.Puram,

New Delhi-110 066

India.

**Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2023 on revision of star level effective from.....**

1. I/ We are the manufacturers / importers of tubular fluorescent lamp carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix the label on tubular fluorescent lamp as specified by the Bureau which would go for revision of star level with effect from.....

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);

3. Conformance to New Star level: I/We conform to the table change as per Table ... as specified in the notification number S.O. number. ....dated..... for tubular fluorescent lamp. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau label (as per revision of star level change) in respect of the tubular fluorescent lamp is enclosed.

5. Details of the equipment / model as per revision of star level

**Model Name - \_\_\_\_\_**

Particulars	Declared Values	
Power (Watts)	--	
Luminous Flux(Lumens)		
Luminous Efficacy (lm/W)		
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application and on the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for tubular fluorescent lamp model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/we authorise the Bureau for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of ..... (Year)

Signature .....

Name .....

Designation .....

For and on behalf of.....

.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

#### FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

To

New Delhi, dated the.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps), (Amendment) Regulations, 2023** you were permitted to affix label on the Tubular fluorescent lamps vide Bureau of Energy Efficiency letter No. ....dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps), (Amendment) Regulations, 2023**, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Tubular fluorescent lamps from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice number .....dated..... for a price of Rs..... and lifted as a sample dated \_\_\_\_\_ by \_\_\_\_\_ for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s \_\_\_\_\_, an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased Tubular fluorescent lamps. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number----- was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s.----, a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification number S.O....dated..... for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O. ....

4. The details of the product and the *suo motu* test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps), (Amendment) Regulations, 2023**, the Bureau is conducting *suo motu* test/challenge test (as applicable) on .....(date) at .....(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps), (Amendment) Regulations, 2023**, the Bureau hereby intimates to-

(i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of the company).

(ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).

6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps), (Amendment) Regulations, 2023**.

7. ....Signed, sealed and dated this..... day of .....month ..... year.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Details of product/ *suo motu* test results
2. Annexure V(a)
3. Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V]

Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:
Unique label series code:
Model name/Model number:
Rated voltage or voltage range
Rated Wattage (Watts)
Rated luminous flux (Lumens)
Rated luminous efficacy (Lumens/Watt)
Star rating

3. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	

Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

4. Results of *suo moto* test (if applicable):

Sl. No.	Brand	Model Name /No.	Measured Values				Declared Values			Remarks
			Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level or Efficiency level	Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	

Date:....

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

**FORM VI**

[See sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to Permittee on failure of second check testing

To

New Delhi, dated the....

.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular fluorescent lamps) Regulations, 2023**, you were permitted to affix label on the Tubular fluorescent lamps vide Bureau of Energy Efficiency letter No. ....dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under Regulation of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular fluorescent lamps) Regulations, 2023**, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Tubular fluorescent lamps from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice number .....dated for a price of Rs..... and lifted as a sample dated .....by M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased Tubular fluorescent lamps. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number.....was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s. ...., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of S.O. number .....dated for giving Test Report in accordance with the Form ....given in Annexure to S.O.. number..... dated the .....

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled Tubular fluorescent lamps failed to meet the type test at total losses at 50% loading and total loss at 100% etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the Tubular fluorescent lamps manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide Bureau of Energy Efficiency letter No... .... dated.....in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

5.The Sample for second check verification Test were picked up .... dated the .... through our authorised Agency M/s. ....and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained from .....under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results of second check testing are enclosed which are duly checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2<sup>nd</sup> check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number .... dated, .... and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Tubular fluorescent lamps manufactured/imported and sold in the market .

7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent lamps), (Amendment) Regulations, 2023**, the Bureau hereby directs to :-

- (i) correct the star level displayed on the label of the Tubular fluorescent lamps or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within 10 days after the expiry of two months i.e. by ..... .In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (6) of regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps), (Amendment) Regulations, 2023**.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5) (6)(7) and (8) of regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps), (Amendment) Regulations, 2023**.

Secretary,  
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

#### Form VII

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Action Taken Report

(To be furnished on the letter head of the organisation)

To

Dated.....

THE SECRETARY,  
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY  
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)  
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,  
SECTOR 1, R.K.PURAM,  
NEW DELHI-110 066  
INDIA.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps), (Amendment) Regulations, 2023**, we M/s.....the manufacturer of Tubular fluorescent lamps were permitted to affix label on the Tubular fluorescent lamps conforming to the energy consumption standard of .....star level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps), (Amendment) Regulations, 2023**, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by Bureau of Energy Efficiency, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the Tubular fluorescent lamps to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)

(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....  
 Name.....  
 Designation.....  
 For and on behalf of.....  
 Name of the Company/Firm etc  
 Seal of the Firm/Company”.


**Schedule**

[See sub-regulation (2) of regulation 3]

**Particulars to be displayed on label of Tubular Fluorescent Lamp**

(3) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include-

(j) Dimension of the label to be affixed on outer casing/ sleeve



*Note: The dimensions of label may be relatively reduced in accordance with the size of the outer casing, provided the aspect ratio of the label shall remain the same.*

(ii) Dimension of the label to be stamped on the tubular fluorescent lamp




*Note: The dimensions of label may be relatively reduced in accordance with the diameter of the tubular fluorescent lamp, provided the aspect ratio of the label shall remain the same.*

(jj) the following colour scheme for the label, namely :-

**NAVY BLUE** – C: 97, M:95 , Y:6 , K:1

**GREEN** – C: 81 , M: 10 , Y:90 , K:1

*Note: Bottom of Bureau's logo and star filler in **GREEN** colour only and all fonts and top of Bureau's logo in **NAVY BLUE***



(iii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:-

**BLUE** –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

**GREEN** –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%

Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

## (2) Label Material

The label shall be self-adhesive and printed on the tubular fluorescent lamp and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.